



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में पटवारी 65 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 14 जून। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र सिंह चौहान, पटवारी मातासुला, तहसील सलूंबर, जिला उदयपुर को परिवारी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई को परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी के नाम मातासुला में पेट्रोल पम्प आवंटन के बाद संबंधित कृषि भूमि के व्यावसायिक रूपान्तरण की प्रक्रिया में आवेदन एवं मौका रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार को भिजवाने की एवज में राजेन्द्र सिंह चौहान पटवारी मातासुला, तहसील सलूंबर, जिला उदयपुर द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रमेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री मनोहरसिंह चौहान निवासी करगेटा, तहसील सलूंबर, जिला उदयपुर हाल पटवारी मातासुला, तहसील सलूंबर, जिला उदयपुर को परिवारी से 65 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।